

न्यायालय नायब तहसीलदार, तहसील, सूरजगढ़, जिला झुंझुनूं  
पीठासीन अधिकारी :::: मांगेराम पूनियां (तहसीलदार)  
मिसल नं. :::: 170 / 2021

सरकार बनाम् सुरेश कुमार पुत्र मालाराम, जाति-मेघवाल,  
निवासी-काकोड़ा

राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के अन्तर्गत

निर्णय दिनांक : 18.02.2022

निर्णय

पत्रावली पेश हुई। गैर सायल बावजूद सूचना अनुपस्थित। इस प्रकरण में संक्षेप में मामला इस प्रकार से है कि गैर सायल सुरेश कुमार पुत्र मालाराम, जाति-मेघवाल, निवासी-काकोड़ा द्वारा रोही मौजा काकोड़ा की राजकीय भूमि ख.नं. 437 कुल रकबा 1.15 है० किस्म गै.मु. जोहड़ में से रकबा 0.007 है० भूमि पर पक्का ढारा व बाड़ा बनाकर अतिक्रमण करने की रिपोर्ट हल्का पटवारी द्वारा प्रस्तुत की गई। हल्का पटवारी द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट के आधार पर प्रकरण को राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के तहत दर्ज रजिस्टर किया गया। गैर सायल को नोटिस जारी किया गया। गैर सायल की ओर से एडवोकेट संदीप मान ने वकालतनामा पेश किया तथा साक्ष्य/सबूत पेश करने हेतु अवसर चाहा, जो दिया गया। आज पेशी पर ना ही गैर सायल स्वयं उपस्थित हुआ और ना ही उनका एडवोकेट उपस्थित हुआ। जवाब एवं साक्ष्य/सबूत पेश करने हेतु पर्याप्त अवसर दिये जाने के उपरान्त भी गैर सायल एवं उनका अभिभाषक अनुपस्थित रहे। बार-बार आवाज लगवाई जाने पर भी उपस्थित नहीं हुए। अतः गैर सायल के विरुद्ध एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई जाती है। रिपोर्ट पटवारी हल्का को सही मानते हुए गैर सायल को उपरोक्त विवादित भूमि का अतिचारी घोषित किया जाकर उनके विरुद्ध बेदखल करने के आदेश दिये जाते हैं। आर्थिक दण्ड स्वरूप सरह लगान का 50 गुणा तावान 5 रू. कायम किया जाता है।

तहसील राजस्व लेखाकार के अभिलेख में तावान राशि की कायमी करवाई जावे। पटवारी/ गिरदावर हल्का को तावान वसूली एवं मौका बेदखली हेतु लिखा जावे। मिसल फैसल शुमार होकर बाद तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 18.02.2022 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

रा० ले० सं० 4 के वृष्ट सं..... पर  
वर्ष 2021-22 में रूपये..... कायम कि।  
राजस्व लेखाकार

(मांगेराम पूनियां)  
तहसीलदार, सूरजगढ़